मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 21 अगस्त, 2001 (श्रावण 30, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का 30 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री इन्द्रजीत कुमार, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (क्रमांक 3 सन् 1973) की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निर्यात निगम मर्यादित का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिये, पटल पर रखेंगे.

(4) श्री सत्येन्द्र पाठक, राज्य मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 23 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री घनश्याम पाटीदार, राज्य मंत्री, विधि और विधायी कार्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे :-

(1) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 1 सन् 2001),
(2) मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 2 सन् 2001), तथा
(3) मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण (लंबित आवेदनों का अंतरण) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 3 सन् 2001).

4. जनवरी-अप्रैल, 2001 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित होने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन जनवरी-मार्च, 2001 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद स्थित जिला शासकीय चिकित्सालय परिसर के कुएं में उपयोगी दवाईयां पाई जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल स्थित केन्द्रीय जेल में कैदियों के बीच खूनी संघर्ष की घटना की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

—2

8. सभापति तालिका की घोषणा.

9. वक्तव्य

(1) श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, दिनांक 29 नवम्बर, 2000 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्रमांक-3468) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री घनश्याम पाटीदार, राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, दिनांक 23 मार्च, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक-5817) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 12 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

11. प्रतिवेदनों पर चर्चा

मानव अधिकार आयोग का प्रथम एवं द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा आयोग की क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन पर चर्चा.

डॉ. ए. के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 20 अगस्त, 2001